न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 19/2011 निर्णय दिनांक :–29.07.2022

उनवानी दावा :

~~1. उगमा पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।~~

1/1. जयसिंह पुत्र उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

1/2. सुखपाल पुत्र उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

1/3. देव देवी पत्नी उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

~~2. गंगाराम पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली~~ {मृतक}

2/1 जगदीश पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

2/2 बाबूलाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

2/3 सोनी देवी पत्नि गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

3. छगना पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

4. रतनलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

5. रूपादेवी पत्नि माधो जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

– वादीगण –

बनाम

1. ~~हजारी पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली~~ {मृतक}

1/1 लालाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

1/2 रणजीत पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

1/3 रामेश्वर पुत्र हजारी हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

~~1/4 लादी देवी पत्नि हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली~~ डिलिट

2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

—प्रतिवादी गण—

उपस्थिति :—
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 1 (मृतक)
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4

दावा इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता व दादा व दादी ससुर की खातेदारी एवं कब्जे की आराजीयात साबिक ख0नं0 2436 रकबा 9 बीघा 15 बीस्वा/2.10 बारानी द्वितीय वाके ग्राम देवली तहसील देवली स्थित है। जबतक देवी स्वयं जिन्दा रहा तब तक उसका कब्जा रहा उसकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा है और मौके पर संयुक्त रूप से काबिज है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :—

देवी

गंगाराम   उगमा   छगना   हजारी   माधो

फोत

↓

वादीगण 4 व 5

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 के पिता व दादा नें उपरोक्त वर्णित आराजीयात को काश्त किया था, चुंकि पुराने जमाने में मृतक के सबसे बडे पुत्र के नाम पगडी बंधती थी, इस कारण मृतक देवी की उक्त जमीन उसके सबसे बडे पुत्र हजारी के नाम लगा दी गई। जबकि उक्त जमीन देवी के सभी पांचों लडकों के नाम आना चाहिए थी, क्योंकि देवी के मरने के बाद उसकी उक्त जमीन पर पांचों पुत्रों का ही बराबर–बराबर कब्जा रहा है और आज भी वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का बराबर–बराबर कब्जा है। यह कि हाल ही में देवली तहसील में सेटलमेंट हुआ है और सेटलमेंट के दौरान हाल ख0नं0 3182 रकबा 0.39, ख. नं. 3183 रकबा 0.41, 3184 रकबा 0.84 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 है0 बना दिये गये है और उक्त जमीन को प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी में लगा दिया गया है, जबकि वादीगण का नाम भी बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना चाहिए था, मौके पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्से पर कब्जा है। इस कारण वादीगण की तरफ से यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी श्रीमान् की सेवा में पेश है। यह कि प्रतिवादी सं0 2 को जमीन का लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।यह कि बिनाय दावा कल दिनांक 20.06.2010 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं0 1 नें वादीगण को काश्त करने से रोकने की कोशिश की, जो निरन्तर रूप से जारी हैं।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी नं. 1 की ओर से अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने जवाब दावा पेश किया जो निम्न प्रकार है :– वाद पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 2 में जो सजरा बताया गया है वह बिल्कुल सही है। वाद पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वादीगण व प्रतिवादी नं. का उपरोक्त आराजी में बराबर 1/5–1/5 हिस्सा है। वाद पत्र का चरण नं. 5 कानूनी

16.1.20

है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं. 6 गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 व 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वादी द्वारा चाही गयी अधियाचना बिल्कुल नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो इसमें प्रतिवादी नं. 1 को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 1 के फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 रतनलाल पुत्र माधो निवासी देवपुरा तहसील देवपुरा तहसील देवली व पी. डब्लयू–2 जगदीश पुत्र गंगाराम जाति मीणा आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरा तहसील देवली व छगना पुत्र श्री देवी जाति मीणा निवासी ग्राम देवपुरा हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी के पेश किये। उक्त साक्ष्यो ने अपने शपथ पत्रो मे वाद का समर्थन किया।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि । पत्रावली में प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई परन्तु पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या ने इकबालिया जवाब पेश किया है। वाद वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व दादा मृतक देवी की मृत्यु के बाद सभी पुत्रो में बड़े पुत्र के नाम लगा दी जबकि उसकी देवी की जमीन पर पांचो पुत्रो का बराबर अधिकार होना चाहिए था। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब भी पेश किया है और साक्ष्यो ने

अपने शपथ पत्रों में वाद को सही बताया है। अतः वाद स्वीकार कर वाद डिक्री किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2021–24 की खतोनी संख्या 612 व कॉलम संख्या 5 में हजारी पुत्र देवी कोमी मीणा सा. देवपुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 2436 मिन में 9 बीघा 15 बिस्वा/2.90 से ख. नं. 3182 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 3183 रकबा 0.41 है0, ख. नं. 3184 रकबा 0.84 है0 बना है जो ज़माबन्दी सम्वत 2062–65 में भी दर्ज रिकॉर्ड है, जो उतरोतर चलता आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने इस सम्बन्ध में इकबालिया जवाब पेश किया है। वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करवाना चाहता है। साक्ष्यो व रिकॉर्ड से प्रमाणित है कि वादीगण भी प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के साथ देवी के पुत्र है जिनका अधिकार विवादित आराजी पर बनता है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में वादीगण को ख. नं. 3182, 3183, 3184 में वादीगण संख्या 1/1 ता 1/3 को 1/5, वादीगण संख्या 2/1 ता 2/3 को 1/5, व वादीगण संख्या 3 को 1/5, वादीगण संख्या 4 ता 5 को 1/5 व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

~~1. उगमा पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।~~

1/1. जयसिंह पुत्र उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

1/2. सुखपाल पुत्र उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

1/3. देव देवी पत्नी उगमा जाति मीणा निवासी देवपुरा तह. देवली हाल निवासी ठगरिया कॉलोनी , देवली

~~2. गंगाराम पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली~~ {मृतक}

2/1 जगदीश पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

2/2 बाबूलाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

2/3 सोनी देवी पत्नि गंगाराम मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

3. छगना पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

4. रतनलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

5. रूपादेवी पत्नि माधो जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली हाल निवास ठगरिया कॉलोनी देवली।

– वादीगण –

बनाम

1. ~~हजारी पुत्र देवी मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली~~ {मृतक}

1/1 लालाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

1/2 रणजीत पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

1/3 रामेश्वर पुत्र हजारी हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली

~~1/4 लादी देवी पत्नि हजारी जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली~~ डिलिट

2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादी गण–

B.. Rg

दावा इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. 19 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री कुलदीप शर्मा इकबालिया जवाब प्रतिपक्षी संख्या 1 व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

अतः जमाबन्दी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में वादीगण को ख. नं. 3182, 3183, 3184 में वादीगण संख्या 1/1 ता 1/3 को 1/5, वादीगण संख्या 2/1 ता 2/3 को 1/5, व वादीगण संख्या 3 को 1/5, वादीगण संख्या 4 ता 5 को 1/5 व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....[signature]...............

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)...............

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए